(वाद सं0– 5913/4/28/2022)

10.08.2023

परिवादी, जय प्रकाश सिंह उर्फ जय प्रकाश यादव, उपस्थित है।

परिवादी को सुना व संचिका का अवलोकन किया।

प्रसंगाधीन मामला परिवादी, जय प्रकाश सिंह उर्फ जय प्रकाश यादव, द्वारा नासरीगंज थाना काण्ड संख्या–109/2022, दिनांक–07.07.2022 के अभियुक्तों के विरूद्ध पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किये जाने से सम्बन्धित है।

उपरोक्त पर **पुलिस अधीक्षक, रोहतास, सासाराम** से प्रतिवेदन की मांग की गई। **पुलिस अधीक्षक, रोहतास, सासाराम** के प्रतिवेदन के साथ **अनुलग्नित अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, विक्रमगंज** का अपने प्रतिवेदन में कथन है कि प्रसंगाधीन काण्ड वर्तमान में अन्वेषणान्तर्गत है तथा अब तक के अनुसंधान के क्रम में चन्दन कुमार, की संलिप्तता को सत्य पाया गया है तथा शेष 04 प्राथमिकी अभियुक्तों की संलिप्तता व अन्य बिन्दुओं पर अन्वेषण जारी है।

परिवादी का आज राज्य आयोग के समक्ष कथन है कि उसकी ओर से प्रसंगाधीन काण्ड के अन्वेषण व अभियुक्तों के गिरफ्तारी हेतु सम्बन्धित न्यायालय से अनुरोध किया गया है तथा न्यायालय द्वारा इस सम्बन्ध में पुलिस को आदेश भी दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस द्वारा प्रसंगाधीन काण्ड के अन्वेषण में लापरवाही बरती जा रही है।

उपरोक्त के आलोक में पुलिस अधीक्षक, रोहतास, सासाराम से अनुरोध है कि प्रसंगाधीन काण्ड का यथाशीघ्र अनुसंधान

समाप्त कर न्यायालय में आरोप पत्र/अंतिम प्रतिवेदन समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

उपरोक्त अनुशंसा के आलोक में प्रसंगाधीन मामले को राज्य आयोग के स्तर से संचिकास्त किया जाता है।

कार्यालय, आज पारित आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, रोहतास, सासाराम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजते हुए इसकी एक प्रति (पुलिस अधीक्षक, रोहतास, सासाराम के प्रतिवेदन पृष्ठ 06–05/प0 की प्रति संलग्न कर) तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक